



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1236]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2016/वैशाख 28, 1938

No. 1236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2016/VAISAKHA 28, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

का.आ.1813(ब).—केन्द्रीय सरकार, कपास के किसानों को बिनौला के अधिकतम विक्रय मूल्य के नियत करने, एकरूपता के साथ-साथ उचित, युक्तियुक्त और वहन करने योग्य मूल्यों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराने के क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिनौला मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आदेश कहा गया है) बनाती है ;

और, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 49) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के अधीन उपलब्ध नवपरिवर्तन के लिए भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार में इसके अलावा अन्य और जहां जीव प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह उत्पादों या प्रक्रिया में हों, किसी नवपरिवर्तन के लिए पेटेंट संरक्षण उपलब्ध है परंतु जहां अभिनवपरिवर्तन और आविष्कारशीलता उपाय अंतर्वलित है और औद्योगिक उपयोगिता की क्षमता है ;

और, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 सूक्ष्म जैविकी से भिन्न, कृषि या उद्यान कृषि और पादप तथा पशुओं के संपूर्ण या उसके किसी भाग की पद्धति जिसके अंतर्गत बीज, नवपरिवर्तन से पादपों और पशुओं के उत्पादन प्रजनन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रिया की पद्धति को छोड़कर हैं ;

और, जीव प्रौद्योगिकी नवपरिवर्तन के माध्यम से यद्यपि वह पेटेंट योग्य है जब किसी किस्म ("पराजीनी किस्म") के लिए जीव प्रौद्योगिकी का अंतरण एक बार जीएम विशेषताएं विकसित हो जाती है, पराजीनी किस्म का पेटेंट नहीं हो सकेगा ; ऐसी विशेषताओं वहन करने वाले बीजों का भी पेटेंट नहीं हो सकेगा और अतः इसलिए पादप किस्मों के अंतर्गत पराजीनी किस्मों को वहन करने वाले जीएम विशेषताओं का संरक्षण केवल पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन हो सकेगा ;

और, पराजीनी किस्मों प्रजनक या कंपनी जिसने उसे विकसित किया है, की बौद्धिक संपदा होगी ;

और, बीज उद्योग में जीव प्रौद्योगिकी, पादपों और बीजों की किस्मों के लिए विद्यमान बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था पर आधारित होगी, यह आवश्यक अनुभव किया गया है कि बिना किसी निरोध के जीएम विशेषताओं को पहुंच रखने वाली सभी बीज

कंपनियों के लिए ऐसे अनुज्ञप्ति मार्ग निर्देश विहित हो और उचित, युक्तियुक्त और गैर-विभेदकारी क्रियाविधि (उ.यु.गै.क्रियाविधि) के अधीन पर्याप्त पारिश्रमिक समान समय पर जैव प्रौद्योगिकी विशेषताएं विकसित करने पर मिलें ;

और, नियंत्रक को, उक्त आदेश के खंड 4 के उपखंड (ख) के अधीन अनुज्ञप्ति मार्गनिर्देशों के चिरभोग और सभी जीएम प्रौद्योगिकी अनुज्ञप्ति करार के लिए रूप विधान पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के कृत्य समनुदेशित किए गए हैं ;

और, उक्त आदेश के खंड 5 के उपखंड (5) के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिकतम विक्रय मूल्य (अ.वि.मू.) के साथ-साथ "विशेषतः मान" और "बीजमान" नामक अ.वि.मू. के घटक मूल्य नियत करने को केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ;

और, उक्त आदेश के खंड 5 के उपखंड (8) अपेक्षा करता है कि अनुज्ञप्ति करार रूप विधान के अनुसार होंगे जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, बिनौला मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड (4) के उपखंड (ख) के साथ पठित खंड 5 की उपखंड (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक की सलाह के आधार पर और खंड 5 के उपखंड (2) में निर्दिष्ट समिति के परामर्श के पश्चात् जीएम प्रौद्योगिकी करार के लिए निम्नलिखित अनुज्ञप्ति मार्ग निर्देश और रूप विधान विहित करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम जीएम प्रौद्योगिकी करार के लिए अनुज्ञप्ति मार्गनिर्देश और रूप विधान, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन मार्गनिर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आदेश" से बिनौला मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 है ।

(ख) उन शब्दों और पदों के जो इन मार्गनिर्देशों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10), बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54), बीज नियंत्रण आदेश, 1983, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) और बिनौला मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनमें हैं ।

3. अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी - (1) सभी करार केवल अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित होंगे जो इसमें यथाउपबंधित मानदंडों को पूरा करते हैं ।

(2) अनुज्ञापक की दशा में,-

(i) अनुज्ञापक जीएम प्रौद्योगिकी का स्वामित्व या विधिमान्य अनुज्ञप्तिधारक है जो अनुज्ञप्ति में इसकी जीएम विशेषताओं का विकास करने के लिए उपयोग है, (जी.इ.मू.स.) की प्रस्थापना करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वाणिज्यिक निर्मुक्ति के लिए से आवश्यक अनुमोदन रखता है या तो स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य पक्षकार के सहयोग से प्राप्त करता है ; और

(ii) अनुज्ञापक द्वारा नियंत्रक को ऐसे सभी ब्यौरे भेजे जाएंगे ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी की दशा में,-

(i) अनुज्ञप्तिधारी बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अधीन यथाउपबंधित विनियामक प्राधिकरणों से विधिमान्य और अस्तित्व युक्त अनुमोदन और आवश्यक अनुज्ञप्ति रखता है ; और

(ii) प्रजनन और जीएम विशेषताओं के परीक्षण के लिए अपेक्षित आवश्यक परीक्षणों को करने के लिए किसी प्रयोगशाला को रखेगा या उस तक पहुंच रखेगा ।

(4) उपर्युक्त अर्हता मानदंडों को पूर्ण करने के अधीन रहते हुए, अनुज्ञापक द्वारा जीएम विशेषताएं प्राप्त करने को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन कपास कृषकों के हित में और उनके लाभ के लिए बिनौला बाजार में प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर आधारित होंगे । जीएम विशेषताओं तक पहुंच के लिए किसी पात्र बीज कंपनी द्वारा बाजार में प्रवेश के लिए कोई रोक नहीं होगी ।

(5) अनुज्ञापक, उपर्युक्त मानदंड पूर्ण करने वाली किसी पात्र बीज कंपनी को कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार नहीं करेगी । अनुज्ञापक अनुज्ञप्तिधारी से अर्हता मानदंडों के पूर्ण करने के सबूत के साथ प्राप्त किसी अनुरोध की प्राप्त के तीस दिन के भीतर जीएम विशेषताओं के अनुमोदन जीन इंजीनियरी मूल्यांकन समिति (जी.इ.मू.स.) के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा । कोई करार

उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित अनुज्ञप्ति रूप विधान के अनुसरण अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यदि अनुज्ञापक उपर्युक्त बाध्यताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है, अनुज्ञप्तिधारी, उ.यु.गै.क्रियाविधि के अनुसार जी.इ.मू.स. अनुमोदित जीएम विशेषताओं के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त हुआ समझा जाएगा और आदेश के अधीन जारी ऐसी अनुज्ञप्ति मार्गनिर्देशों के निबंधनों और करार का पालन करना ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समझा जाएगा।

(6) यदि उपर्युक्त पैरा 5 में यथा उपबंधित कोई अनुज्ञापक द्वारा जीएम विशेषता अनुज्ञप्ति के इंकार से व्यथित ऐसा अनुज्ञप्तिधारी शिकायत को कथित करते हुए नियंत्रक को अपील कर सकेगा और नियंत्रक प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और कपास किसानों को उचित और युक्तियुक्त मूल्य पर जीएम बिनौला की उपलब्धता के लिए गैर विभेदकारी अनुज्ञप्तियों को सुनिश्चित करने से संबंधित पक्षकारों को आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

(7) इन मार्गनिर्देशों और अनुज्ञप्ति करार रूप विधान के प्रकाशन की तारीख से सभी विद्यमान जीएम विशेषता अनुज्ञप्ति करार के किसी अन्य रूप विधान जो उत्पादन और जीएम बिनौला बीजों के विक्रय से संबंधित है तथा संबंधित अनुज्ञापक को "विशेषतः मान" का संदाय अविधिमान्य, प्रभावहीन होगा और इन मार्गनिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर नए रूप विधान में निष्पादित करना होगा।

4. विशेषता मूल्य-(1) किसानों के फायदे के लिए आदेश को प्रभावी रूप से प्रचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति करार के लिए यह सम्भाविक है कि वह आदेश में अधिकथित उपदर्शों के अनुरूप हो और विशिष्टतया अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि "विशेषता मूल्य" संग्रहण और बिनौला के विक्रय को अनुज्ञापकों और अनुज्ञप्तिधारियों के बीच द्विपक्षीय करारों के माध्यम से प्रभावी किया जाए ताकि "विशेषता मूल्य", "बीज मूल्य" और "अधिकतम विक्रय मूल्य" केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश के अनुसरण में नियत के अनुरूप हों।

(2) केंद्रीय सरकार "विशेषता मूल्य" को नियत करते समय किसानों को जीएम विशेषता की प्रभावकारिता, यथास्थिति, संबंधित स्वत्वधारी द्वारा पहले ही किए गए विनिधान के मूल्य और रिटर्न, जीएम विशेषता को विकास करने के लिए उपयोग की गई जीएम प्रौद्योगिकी तथा विनियमों द्वारा लागू अधिकतम स्वामिस्व सीमाओं, यदि कोई विहित हों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन जारी प्रैस टिप्पणियों का ध्यान रखेगी। केंद्रीय सरकार भारत में विशेषता के पेटेंट और वाणिज्यकरण के वर्ष, विशेषता की प्रभावकारिता, विशेषता मूल्य में भारत में वाणिज्य उपयोग के वर्ष से कटौती आदि जैसे कारकों पर भी विचार करेगी। नई जीएम विशेषता, जिसका इस अधिसूचना के पश्चात् वाणिज्यकरण किया गया है, का अधिकतम विशेषता मूल्य इस आदेश के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त आदेश के अधीन प्रत्येक वर्ष वाणिज्यकरण के प्रारंभिक पाँच वर्ष के लिए का अधिकतम विक्रय मूल्य के पाँच प्रतिशत बढ़ाया जा सकेगा।

(3) चूंकि जीएम विशेषताओं की प्रभावकारिता की सीमित अवधि होने की आशा है, कोई जीएम विशेषता, जिसकी राज्यों द्वारा प्रभावकारिता समाप्त होने की रिपोर्ट की जाए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा सत्यापित किया जाए, वह किसी विशेषता मूल्य, चाहे जो भी हो, के लिए पात्र नहीं होगी। प्रभावकारिता की हानि के पश्चात् बीज में विशेषता की उपस्थिति केवल प्रौद्योगिकी के पेटेंट के आधार पर, जिसका विशेषता का विकास करने के लिए उपयोग किया गया है, किसी विशेषता मूल्य का दावा करने के लिए कारण नहीं होगा।

(4) जीएम विशेषता को किसी अन्य जीएम विशेषता के साथ सहयुक्त करने की दशा में दोनों जीएम विशेषताओं के संबंध में विशेषता मूल्य की रकम पूर्वोक्त विहित शर्तों के अधीन होगी तथा सहयुक्त विशेषता को प्रारंभ करने का वर्ष, विशेषता को प्रारंभ करने का वर्ष बन जाता है तथापि दोनों या किसी एक विशेषता को पूर्व में पृथकतः आरंभ किया गया हो।

(5) अनुज्ञप्तिधारी आदेश के अधीन नियत विशेषता मूल्य का संदाय करने के लिए तब तक बाध्य होगा, जब तक जीएम विशेषता प्रभावी रहती है और वे पराजीनीकिस्मों या संकर किस्मों, जिनमें जीईएसी अनुमोदित जीएम विशेषता है, के बीजों का विक्रय करना जारी रखते हैं, चाहे वह करारों का अभ्यर्षण करते हैं या समाप्त करते हैं या पैरा तीन के उप पैरा (5) के अनुसार अनुज्ञप्तियां अभिप्राप्त करते हैं।

5. अपफ्रंट फीस—(1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाशन से पूर्व निष्पादित सभी जीएम विशेषता करारों के लिए या उन मामलों में जहां अपफ्रंट फीस का पूर्व में संदाय कर दिया गया था। किसी नई अपफ्रंट फीस को प्रभारित नहीं किया जाएगा। नई जीएम विशेषताओं की दशा में, जिनका इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाशन के पश्चात् वाणिज्यकरण किया जाएगा, अपफ्रंट फीस पारस्परिक रूप से सहमत किंतु दो बराबर वार्षिक किस्तों में संदेय पच्चीस लाख रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन रहते हुए होगी।

6. अपील उपबंध—कोई अनुज्ञापक या अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्ररूप के पुनर्विलोकन या उपांतरण की या नियंत्रक के आदेश के खंड 6 के अधीन पर्याप्त और समुचित न्यायोचित्य उपलब्ध कराके विशेषता मूल्य के अवधारण की ईप्सा कर सकेगा।

उपाबंध

जीएम प्रौद्योगिकी (जीएम विशेषता) अनुज्ञापन करार का प्ररूप

प्रत्येक अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी के बीच होने वाले जीएम विशेषता अनुज्ञापन करार में निम्नलिखित उपदर्शों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किन्हीं अन्य खंडों को पारस्परिक रूप से यथासहमत वाणिज्यक समझ को कैप्चर करने के लिए जोड़ा जा सकेगा।

1. करार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के साथ-साथ बिनौला कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन विरचित अनुज्ञापन मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में होगा तथा वह समानता और निष्पक्षता, युक्तियुक्त और गैर-विभेदकारी अनुज्ञापन मार्गदर्शक सिद्धांतों के सिद्धांतों पर आधारित होगा।

2. करार में उपयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, किंतु जो परिभाषित नहीं हैं, का वहीं अर्थ होगा जो उनका अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10), बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54), बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का 53) तथा बिनौला कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2015 में है।

3. अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी, दोनों तथा किसी अन्य संबंधित पक्षकार का नाम, पता और अन्य विशिष्टियां, जैसा संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के अधीन अपेक्षित हैं, करार में ही दी जानी हैं।

4. अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरित की जाने वाली जीएम विशेषताओं के ब्यौरे।

5. जीएम विशेषता अंतरण गैर समाविष्ट आधार पर संपूर्ण भारत को कवर करने वाला होगा।

6. “अनुज्ञापक” संपुष्टि करते हैं कि उनके पास भारत में जीएम विशेषताओं का विकास करने के लिए उपयोग की गई जीएम प्रौद्योगिकी की अनुज्ञप्ति के अधिकार हैं।

7. “अनुज्ञापक” द्वारा जीएम विशेषताओं का विकास करने के लिए उपयोग की गई जीएम प्रौद्योगिकी “अनुज्ञापक” की संपत्ति होगी। तथापि, इस करार के अधीन “अनुज्ञापक” द्वारा पराजीनीकपास किस्मों का पीपीवीएफआर के अधीन वाणिज्यक दोहन अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार “अनुज्ञापक” पास होंगे।

8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तदधीन जीएम विशेषता के वाणिज्यकरण के लिए बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञापक द्वारा अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिए गए हैं या उसके द्वारा अभिप्राप्त किए जाने की प्रक्रिया में हैं। अनुज्ञापक जीएम विशेषता के अंतरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के साथ करार का निष्पादन करने के लिए अन्य लागू विधिक अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। अनुज्ञप्तिधारी तब तक पराजीनीकिस्मों के बीजों का उत्पादन और विक्रय नहीं करेगा जब तक उनके द्वारा बहन किए जाने वाली जीएम विशेषता का वाणिज्यक रूप से जारी करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।

9. “अनुज्ञप्तिधारी” के पास बीज अधिनियम, 1966, बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अधीन भारत में बिनौला कारबार करने के लिए विधिमान्य अनुमोदन है और उसको आईसीएआर द्वारा मान्यता दी गई है, यदि अनुसंधान और विकास कार्यकलाप के अधीन लागू हो तथा उसके पास कपास संकर साम्पातिक और पेरेंट लाइन नई जीएम विशेषताओं को एकीकृत करने के सामर्थ्य के साथ हैं तथा वह “अनुज्ञापक” के साथ जीएम विशेषता का उपयोग करने और कतिपय कीटों और नाशक जीवों से प्रतिरोध के लिए पराजीनी फसल किस्मों/संकर किस्मों के विकास और वाणिज्यकरण के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए सहयोग की वांछा रखता है। जीएम विशेषताओं का वाणिज्यक जीवन विशेषता की प्रभावकारिता के पूर्व में नष्ट हो जाने की दशा में पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए दस वर्ष माना गया है।

10. “अनुज्ञप्तिधारी” करार के अधीन जीएम विशेषताओं को किसी अन्य पक्षकार को “अनुज्ञापक” के पूर्व अनुमोदन के बिना अंतरित नहीं कर सकता है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी करार के अधीन उनके द्वारा विकसित पराजीनी किस्म, जिसके पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के अधीन बौद्धिक संपदा अधिकार उनके पास हैं, की किसी कंपनी को अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

11. इस समय भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुज्ञापक विकसित, उपांतरित, पेटेंटड जीनों के स्वामित्व से संबंधित किसी विधिक समस्या/विवादों के लिए दायी होगा। अनुज्ञापक संपुष्टि करता है कि भारत में प्रवृत्त विद्यमान बौद्धिक संपदा अधिकार विधियों के अनुसार वे भारतीय पेटेंट विधि का उल्लंघन नहीं करते हैं।

12. विशेषता मूल्य या विशेषता फीस, जो अनुज्ञापक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से प्रभारित की जाएगी, भी केंद्रीय सरकार द्वारा विनौला मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन नियत विशेषता मूल्य से अधिक नहीं होगी। अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी सभी समय यह सुनिश्चित करेंगे कि इस करार के अधीन जीएम विशेषता को सम्मिलित करने वाले सभी विनौला का सभी किसानों को विनौला मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर विक्रय न किया जाए।

13. अनुज्ञापक जीएम विशेषताओं (पराजीनी किस्म के बीजों के अंतरण द्वारा) का अनुज्ञप्तिधारी को अंतरण अपफ्रंट फीस की पहली किस्त की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर करेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी आदेश के अधीन यथा नियत विशेषता मूल्य का संदाय करने के लिए मूल्य तब भी बाध्य होगा जब वह करारों का अभ्यर्षण कर देता है, समाप्त कर देता है या अनुज्ञापक जीएम विशेषताओं के प्रभावी रहने के दौरान अनुज्ञप्ति का समापन कर देता है और वह विकसित पराजीनी किस्म से उत्पादित बीजों का अनुज्ञप्ति के प्रभावी रहने के दौरान विक्रय करना तब जारी रखते हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विशेषता मूल्य का असंदाय करने की दशा में अनुज्ञापक को विधि के अनुसार और इस करार के अधीन सभी शोध्यों की वसूली का अधिकार होगा।

15. यहां तक कि जब कोई बीज कंपनी अपनी किस्मों या संकर किस्मों में किसी जीएम विशेषताओं को समाविष्ट करती है जिसको ईपीए 1986 के अधीन जीईएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनका वाणिज्यकरण करती है, वे अनुज्ञापक/प्रौद्योगिकी स्वामी को समय-समय पर आदेश के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार विशेषता कीमत का संदाय करने के दायी होंगे।

16. अनुज्ञापक करार में अनुज्ञप्तिधारी पर वैसी ही या अन्य जीएम विशेषता या कोई अन्य प्रौद्योगिकी किसी अन्य प्रौद्योगिकी विकासकर्ता/अनुज्ञापक से प्राप्त करने पर रोकने के लिए कोई निर्बंधनकारी शर्त नहीं रखेगा। अनुज्ञापक अनुज्ञप्तिधारी को किसी अन्य अनुज्ञापक या विशेषता विकासकर्ता से जब भी अपेक्षित हो, कोई अन्य समुचित जीएम विशेषता रखने के लिए भी अनुज्ञात करेगा ताकि किसानों को बेहतर कृषि संबंधी मूल्य प्रदान किया जा सके।

17. प्रत्येक पक्षकार इस करार के अधीन उपबंधित सूचना को गोपनीय रखने का और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत इस मामले से प्रत्यक्षतः सहबद्ध कर्मचारी हैं, को प्रकटित न करने का वचनबंध देती है। पक्षकार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गोपनीय सूचना कर्मचारियों को केवल जानकारी होने के आधार पर ही उपलब्ध कराई जाए।

18. इस करार से या इसके संबंध में उदभूत होने वाला विवाद, जिसको पक्षकारों के बीच 90 दिन के भीतर सदभावपूर्वक नहीं निपटाया जा सकता है, को माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अनुसार माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार द्वारा एक माध्यस्थ नियुक्त करने के साथ माध्यस्थों की संख्या तीन होगी और इस प्रकार नियुक्त दो माध्यस्थ एक तीसरे माध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो कार्यवाहियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। माध्यस्थता की पीठ पारस्परिक रूप से सहमत होगी और भारत में होगी।

19. इस करार की विधिमान्यता, निर्वचन और निष्पादन तथा इस करार से सहबद्ध किसी विवाद का शासन भारत में कानूनी, विनियामक और निर्णय विधियों के अनुसार होगा तथा अवधारित किया जाएगा (जिसके अंतर्गत उनकी विधियों के विरोध का सिद्धांत है)।

[सं. 6-2/2015-एसडी.बी]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (बीज)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016

S.O.1813(E).—Whereas, in order to provide an effective system for fixation of maximum sale price of cotton seeds to ensure their availability to the cotton farmers at uniform as well as fair, reasonable and affordable prices, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) made the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015 (hereafter to referred to as the Order);

And whereas, in India intellectual property rights for innovation are provided under the Patents Act, 1970 (39 of 1970) and the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act 2001 (53 of 2001) apart from others and the patent

protection is provided for any inventions, whether products or processes in all fields of biotechnology, provided that there is the involvement of novelty and an inventive step and are capable of industrial applications;

And whereas, section 3 of the Patents Act, 1970 excludes a method of agriculture or horticulture and plants and animals in whole or any part thereof other than microorganisms but including seeds, varieties and species and essentially biological processes for production or propagation of plants and animals from the inventions;

And whereas, even though biotechnology inventions are patentable, once the GM Traits developed through biotechnology are transferred into a variety ("transgenic variety"), the transgenic variety per se cannot be patented; the seeds carrying such trait also cannot be patented and hence, the plant varieties including transgenic varieties carrying the GM Traits can be protected only under the Protection of Plant varieties and Farmer's Rights Act, 2001.

And whereas, the transgenic varieties become the intellectual property of the breeder or company who has developed it;

And whereas, based on the existing intellectual property rights regime for biotechnology, plants and varieties in the seed industry, it is felt necessary to prescribe the licensing guidelines so that all seed companies have access to the GM Traits without any restraint and at the same time biotech trait development is adequately rewarded under the fair, reasonable and non-discriminative mechanism (FRAND mechanism);

And whereas, under sub-clause (b) of clause 4 of the said Order, the Controller has been assigned the function of advising the Central Government on the prescription of licensing guidelines and format for all the GM Technology Licensing Agreements;

And whereas, under sub-clause (5) of clause 5 of the said Order, the Central Government is empowered to fix the Maximum Sale Price (MSP) as well as the price components of the MSP namely the "Trait Value" and the "Seed Value";

And whereas, sub-clause (8) of clause 5 of the said Order required that License Agreements shall be as per the format, as may be prescribed by notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (8) of clause 5 read with sub-clause (b) of clause 4 of the Cotton Seed Price (Control) Order, 2015, the Central Government, based on the advice of the Controller and after consultation with the Committee referred to in sub-clause (2) of clause 5, hereby prescribes the following licensing guidelines and formats for GM Technology Agreements, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These guidelines may be called as the Licensing and Formats for GM Technology Agreement Guidelines, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these guidelines, unless the context otherwise requires,—

(a) "Order" means the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015;

(b) the words and expressions used in these guidelines but not defined shall have the same meanings assigned to them in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Seeds (Control) Order, 1983, the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Protection of Plant varieties and Farmer's Rights Act, 2001 (53 of 2001) and the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015 and the rules framed there under.

3. Licensors and Licensees.—(1) All agreements shall be executed only by the Licensors and Licensees, who shall fulfill the criteria as provided herein.

(2) In the case of the Licensor,—

(i) the Licensor shall have the ownership or valid license to the GM Technology which is used for developing the GM Trait it is offering to license and shall have the necessary approvals from GEAC for commercial release under the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules framed thereunder or shall undertake to obtain the same either independently or in collaboration with any other party; and

(ii) all such details shall be submitted to the Controller by the Licensor.

(3) In the case of the Licensee,—

(i) the Licensee shall possess valid and subsisting approvals and necessary license from the regulatory authorities as provided under the Seeds Act, 1966 and Seeds (Control) Order, 1983; and

(ii) who possess or have access to a laboratory for carrying out necessary tests required for breeding and testing GM Traits.

(4) Based on the need to encourage competitiveness in the cotton seed market in the interest of and for the benefit of the cotton farmers, all applications seeking license to obtain GM Trait shall be considered by Licensor, subject to fulfilling the aforesaid qualification criteria. Access to the GM Trait shall not become a barrier for entering the market by an eligible seed company.

(5) The Licensor shall not refuse grant of a license to any eligible seed company fulfilling the aforesaid criteria. The Licensor shall award the license for the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) approved GM Trait within 30 days of receipt of a request from Licensee along with proof of fulfilling the qualification criteria. An Agreement shall be signed by the Licensor and the Licensee in accordance with the approved License Format as specified in the ANNEXURE. If the Licensor fails to meet the above obligation, the Licensee is deemed to have obtained the license for the GEAC approved GM Trait as per FRAND mechanism and the deemed license holder shall abide the terms of such licensing guidelines and agreement issued under the Order.

(6) If any Licensee is aggrieved by denial of GM Trait license by a Licensor as provided in paragraph (5) above, such Licensee can make an appeal to the Controller stating the grievance and the Controller shall have powers to issue necessary directions to the concerned party to ensure non-discriminative licensing to encourage competition and availability of GM cotton seeds to cotton farmers at fair and reasonable prices.

(7) From the date of publication of these guidelines and the License Agreement Format, all the existing GM Trait License Agreements in any other Format dealing with the production and sale of GM cotton seeds and payment of "Trait value" to the concerned Licensor shall become invalid, inoperative and shall have to be executed in the new format within 30 days of from the date of publication of these guidelines.

4. Trait Value.— (1) In order to effectively operationalise the Order for the benefit of the farmers it is imperative for License Agreements to conform to the stipulations laid down under the Order and in particular the Licensor and Licensee are required to ensure that the "Trait Value" collections and sale of cotton seeds effected through bilateral agreements between Licensors and Licensees so as to conform to the "Trait Value", "Seed Value" and "Maximum Sale Price" fixed by the Central Government pursuant to the Order.

(2) The Central Government while fixing the "Trait Value" shall have regard to the efficacy of the GM Trait to the farmers, the reward and return on investment already made by the concerned proprietor or as the case may be, the authorized user of the GM Technology used for developing GM Trait and the applicable ceiling limits on royalty collections prescribed, if any, by regulations and press notes issued under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999). The Central Government shall also consider factors like the year of patenting and commercialization of the trait in India, efficacy of trait, gradual reduction in trait value from the year of commercial use in India etc. For a new GM Trait, commercialized after this notification, the maximum trait Value may be up to 10% of Maximum Sale Price (MSP) of GM cotton seeds as fixed by the Central Government under the said Order every year, for the initial period of five years from commercialization. From the sixth year onwards, it shall taper down every year @ 10% of initial trait value as above fixed under the Order.

(3) As the GM Traits are expected to have a limited period of efficacy, any GM Trait which loses its efficacy as reported by States and verified by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) shall not be eligible for any trait value whatsoever. Presence of the trait in the seed after the loss of efficacy shall not be a reason for claiming any trait value merely on the basis of patent for the technology which is used to develop the trait.

(4) In case the GM Trait is to be combined with any other GM Trait, the trait value amounts in respect of both the GM Traits shall also be subject to conditions as prescribed above and the launching year of the combined (stacked) trait becomes the first year of the launch of the trait even though both or any one of the traits have been launched earlier separately.

(5) The Licensee is obligated to pay the trait value as fixed under the Order even if they surrender or terminate agreements or obtain the license as per sub-paragraph (5) of paragraph 3 as long as the GM Trait is effective and they continue to sell the seeds of the transgenic varieties or hybrids containing the GEAC approved GM Trait.

5. Upfront Fee.—(1) For all GM Trait License agreements executed before the publication of these guidelines or cases where upfront fee was paid earlier, no new upfront fee shall be charged. In case of new GM Traits which shall be commercialized after the publication of these guidelines, the upfront fee shall be as mutually agreed but subject to the maximum ceiling not exceeding Rs.25 Lakhs payable in two equal annual installments.

6. Appeal Provisions.—Any Licensor or Licensee may seek a review or modification of the License Format or the determination of the Trait Value by providing adequate and appropriate justifications under clause 6 of the Order, from the Controller.

ANNEXURE**Format for the GM Technology (GM Trait) Licensing Agreement**

The following stipulations shall be incorporated in the GM Trait Licensing Agreement to be entered into between each Licensor and Licensee. In addition any other clauses may be added to capture commercial understanding as mutually agreed.

1. The Agreement shall be in compliance with the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872) as well as the Licensing Guidelines framed under the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015 and shall be based on principles of equity and Fair, Reasonable and Non-discriminative (FRAND) licensing guidelines.
2. The words and expressions used in the Agreement but not defined shall have the same meaning assigned to them in the in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Seeds (Control) Order, 1983, the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Protection of Plant varieties and Farmer's Rights Act, 2001 (53 of 2001) and the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015.
3. The name, address and other particulars of both Licensor and Licensee and any other concerned party as required under the Contract Act, 1872 (9 of 1872) to be set out in the Agreement itself.
4. The details of the GM Traits to be transferred by Licensor to the Licensee.
5. The GM Trait transfer will be on non-exclusive basis covering entire India.
6. "LICENSOR" affirms that they have the rights to license the GM technology used for developing GM Trait in India to the Licensee.
7. The GM Technology used for developing the GM Trait by "LICENSOR" shall be the property of "LICENSOR". However, the commercial exploitation rights and intellectual property rights under PPVFR of transgenic cotton varieties developed by "LICENSEE" under this agreement shall rest with "LICENSEE".
8. Necessary approvals have been obtained or are in process of being obtained by licensor under the Environment Protection Act, 1986 and the rules made thereunder for commercialization of the GM Trait. The licensor also shall meet other applicable legal requirements for executing the Agreement with Licensee for transfer of the GM Trait. The Licensee shall not produce and sell seeds of transgenic varieties till the GM Trait carried by them is approved for commercial release under provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder.
9. The "LICENSEE" has valid approvals under the Seeds Act, 1966, Seed Control order, 1983 for carrying out cotton seed business in India, and has recognition with ICAR if applicable for Research and Development activity and has proprietary cotton hybrids and parent lines with ability to integrate new GM Traits and is desirous of collaborating with "LICENSOR" to utilize the GM Trait and expertise available for the development and commercialization of transgenic crop varieties / hybrids, for resistance to certain insect pests or any agronomic useful GM Trait. The commercial life of the GM Traits is considered as 10 years subject to review in case of efficacy of trait is lost earlier.
10. "LICENSEE" cannot transfer the GM Trait under the Agreement to any party without prior approval of the "LICENSOR". However, the Licensee may license the transgenic variety developed by them under the agreement having intellectual property rights under the Protection of Plant varieties and Farmer's Rights Act, 2001, to any other company.
11. As per the law currently in force in India, LICENSOR shall be liable for any legal problem/disputes relating to the ownership of the genes developed, modified, patented. The Licensor affirms that, as per the present intellectual property rights laws (IPR laws) in force in India, they are not infringing the Indian Patent Law.
12. The trait Value or trait fee which shall be charged by the Licensor from the Licensee shall also not exceed the trait value fixed by the Central Government under the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015. The Licensor and Licensee shall ensure at all times that all cotton seeds incorporating the GM Trait under this Agreement are sold to the farmers not exceeding the Maximum Sale Price (MSP) notified by the Government of India pursuant to the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015.
13. The Licensor shall transfer GM Trait (through transfer of seeds of transgenic variety) to the licensee within fifteen days of receipt of first installment of upfront fee.
14. The Licensee is obligated to pay the trait value as fixed under the Order even if they surrender, terminate agreements or the Licensor terminates the license as long as the GM Trait is effective and they continue to sell seeds produced from the transgenic variety developed while the license was in force. In case of nonpayment of the trait value by the Licensee, the Licensor shall have all the rights to recover the dues as per the law and under this agreement.

15. Even if a seed company incorporates into its varieties or hybrids, a GM trait which is approved by GEAC under EPA, 1986 and commercialize them, they shall be liable to pay trait value to Licensor/technology owner as per the notifications issued under the Order from time to time.
16. The Licensor shall not put any restrictive condition in the Agreement restraining licensee to get similar or other GM Traits or any other technology from other technology developers/licensor. The Licensor shall also permit the Licensee to stack any other appropriate GM Trait from any other Licensor or trait developer as and when required so as to provide better agronomic value to the farmers.
17. Each party undertakes to keep information provided under this agreement confidential and not to disclose to any person or persons including the employees not directly associated with the matter. The parties shall also ensure that confidential information is made available to employees only on a need to know basis.
18. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, which cannot be settled by good faith between the parties within ninety days shall be referred to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996). The number of arbitrators shall be three with each party appointing one arbitrator and the two arbitrators so appointed shall appoint a third arbitrator, who shall act as the Chairperson of the proceedings. The seat of arbitration shall be as mutually agreed to and within India.
19. The validity, interpretation and performance of this Agreement and any dispute connected with this Agreement shall be governed by and determined in accordance with the statutory, regulatory and decisional laws of India (including the conflicts of laws principles thereof).

[No. 6-2/2015-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Seeds)